

29/5/17

पञ्जावली डेम्प कीर्ति / ज्ञाप्य धारणे इवार मेऽऽस्तुतः (इति)
 वादी वाधिवत्सा उपारथित / उल्लिख्यते कतुः। शब्दपाटी
 दिया जाता है। पापरागी का अर्थना पत्र (कीडर
 दिया जाता है) पञ्जावली में निर्णय तथ्यसे लिखा
 जाकर संलग्न दिया गया / पञ्जावली डेसल शुमार
 लीडर नंबर से कम है।

पञ्जावली अविभागी
 पञ्जावली

मां पत्र
 पत्र
 क

(मां गीतान
 पत्र पत्र)
 पत्र

1. थाना पिता स्व० श्री मिश्रीलाल रेबारी, निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाडा।
2. शंकर लाल पिता स्व० श्री मिश्रीलाल रेबारी, निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाडा।
3. फम्बु पत्नी स्व० श्री मिश्रीलाल रेबारी, निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवान लाल पिता मांगु रेबारी, निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाडा।
2. बक्षुलाल पिता मांगु रेबारी, निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाडा।
3. मोहन लाल पिता मांगु रेबारी, निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाडा।
4. नारायण लाल पिता हजारी रेबारी, निवासी मोमी तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 29.05.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 14.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मोमी पटवार हल्का गुरलां, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण आराजी संख्या 65 रकबा 02-09 बीघा, आराजी संख्या 889/65 रकबा 02-09 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 04-18 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मोमी पटवार हल्का गुरलां, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 65 रकबा 02-09 बीघा, आराजी संख्या 889/65 रकबा 02-09 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 04-18 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 500/- अक्षरे पौंच सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 29.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पटवार सहायक कलक्टर